महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन

कार्य विवरण

दिनांक 27 .02.2023 समय - प्रातः 11:30 बजे

उपस्थिति

1.	प्रो. विजय कुमार सी.जी.	-	अध्यक्ष एवं कुलपति
2.	प्रो. बालकृष्ण शर्मा	-	सदस्य (नामित)
3.	प्रो. विनायक पाण्डेय	-	सदस्य (संकायाध्यक्ष)
4.	प्रो. (श्रीमती) सीमा शर्मा	-	सदस्य (संकायाध्यक्ष)
5.	प्रो. एच.पी. दीक्षित	-	सदस्य (संकायाध्यक्ष)
6.	डॉ. हरेन्द्र भार्गव	-	सदस्य (संकायाध्यक्ष)
7.	डॉ. तुलसीदास परौहा	-	सदस्य (विभागाध्यक्ष)
8.	डॉ. शुभम शर्मा	-	सदस्य (विभागाध्यक्ष)
9.	डॉ. अखिलेश कुमार द्विवेदी	-	सदस्य (विभागाध्यक्ष एवं वि.क.अ. अकादमिक/विद्या विभाग)
10.	डॉ. उपेन्द्र भार्गव	-	सदस्य (विभागाध्यक्ष)
11.	डॉ. दिलीप कुमार सोनी	-	सदस्य (सचिव)

विद्या परिषद् की बैठक में उपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष एवं संदस्यों का वाचिक स्वागत विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं बैठक के सचिव डॉ. दिलीप सोनी द्वारा किया गया। तदुपरांत माननीय कुलपति प्रो. विजय कुमार सी.जी. की अध्यक्षता में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विषय क्र. 01 – **विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्य विवरण के पालन प्रतिवेदन की संपुष्टि पर विचार।**

टीप – विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्य विवरण का पालन प्रतिवेदन संलग्न किया गया है।

निर्णय – विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 25.11.2022 के कार्य विवरण के पालन प्रतिवेदन सम्पुष्टि की गयी।

क्रियान्वयन – विद्या विभाग।

विषय क्र. 02 – **वेद वेदांग एवं साहित्य संकाय की बैठक दिनांक 17.11.2022 के कार्य विवरण अनुमोदनार्थ।**

टीप – वेद वेदांग एवं साहित्य संकाय की बैठक दिनांक 17.11.2022 का कार्य विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – वेद वेदांग एवं साहित्य संकाय की बैठक दिनांक 17.11.2022 के कार्य विवरण का अनुमोदन किया गया।

क्रियान्वयन – विद्या विभाग/वेद वेदांग एवं साहित्य संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।

विषय क्र. 03 – **कला संकाय की बैठक दिनांक 16.11.2022 के कार्य विवरण अनुमोदनार्थ।**

टीप – कला संकाय की बैठक दिनांक 16.11.2022 का कार्यविवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – कला संकाय की बैठक दिनांक 16.11.2022 का कार्यविवरण का अनुमोदन किया गया।

क्रियान्वयन – विद्या विभाग/कला संकाय संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।

विषय क्र. 04 – **शिक्षाशास्त्र संकाय की बैठक दिनांक 17.11.2022 के कार्य विवरण की स्वीकृति पर विचार।**

टीप – शिक्षाशास्त्र संकाय की बैठक दिनांक 17.11.2022 के कार्य विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – शिक्षाशास्त्र संकाय की बैठक दिनांक 17.11.2022 के कार्य विवरण का अनुमोदन किया गया।

क्रियान्वयन – विद्या विभाग/शिक्षाशास्त्र संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।

विषय क्र. 05 – **प्राचीन विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 17.11.2022 के कार्य विवरण की स्वीकृति पर विचार।**

टीप – प्राचीन विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 17.11.2022 के कार्य विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – प्राचीन विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 17.11.2022 के कार्य विवरण का अवलोकन किया गया।

क्रियान्वयन – विद्या विभाग/प्राचीन विज्ञान संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।

विषय क्र. 06 – **दर्शन संकाय की बैठक दिनांक 16.11.2022 के कार्य विवरण की स्वीकृति पर विचार।**

टीप – दर्शन संकाय की बैठक दिनांक 16.11.2022 के कार्य विवरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – दर्शन संकाय की बैठक दिनांक 16.11.2022 के कार्य विवरण का अवलोकन किया गया।

क्रियान्वयन – विद्या विभाग/दर्शन संकाय संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष।

विषय क्र. 07 – **डी-लिट् उपाधि प्रारम्भ करने पर विचार।**

टीप – विश्वविद्यालय के अधिनियम में विद्यावाचस्पति (डी-लिट्) उपाधि का प्रावधान नहीं है। यहाँ से अन्यत्र अन्य विश्वविद्यालयों में विद्यावाचस्पति (डी-लिट्) उपाधि हेतु प्रावधान है, अत: इस विश्वविद्यालय में भी विद्यावाचस्पति (डी-लिट्) उपाधि प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय – बैठक में विद्यावाचस्पति (डी-लिट्) उपाधि प्रारम्भ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी साथ ही निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियम / परिनियमों को दृष्टिगत रखते हुए इस विश्वविद्यालय में भी विद्यावाचस्पति (डी-लिट्) उपाधि प्रारम्भ करने हेतु अधिनियम / परिनियम का निर्माण किया जाकर आगामी बैठक में रखा जाए।

क्रियान्वयन – विद्या विभाग/स्थापना।

विषय क्र. 08 – **संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञानविज्ञान संवर्धन केन्द्र में संचालित गतिविधियों को संचालित करने वाले सहा. प्राध्यापक/अतिथि प्राध्यापक/कर्मचारियों के लिये यात्रा भत्ता/दैनिक यात्रा भत्ता/अतिरिक्त यात्रा पारिश्रमिक भत्ता स्वीकृत करने पर विचार।**

टीप – संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण तथा ज्ञानविज्ञान संवर्धन केंद्र द्वारा संस्कृत के उत्थान हेतु कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन में सांध्यकालीन संस्कृत कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होने से केंद्र की गतिविधियों को नगर तथा नगर के बाहर भी संचालित किया जाता है। इस केंद्र के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक स्तर के विद्वानों/प्रशिक्षकों से व्याख्यान करवाए जाते है। वर्तमान में भी सहायक प्राध्यापक स्तर के अतिथि विद्वान/प्रशिक्षकों को केंद्र की गतिविधियों का संचालन कुशलतापूर्वक कर रहे है। देखने में आया है कि सहायक प्राध्यापक स्तर के अतिथि विद्वानों/प्रशिक्षकों को नगर में विश्वविद्यालय से अन्यत्र स्थानों पर प्रशिक्षण/व्याख्यान प्रदान करने हेतु स्वयं के व्यय पर जाना पड़ रहा है, जिससे

विद्वानों/प्रशिक्षकों को आर्थिक रूप से हानि का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि केंद्र की गतिविधियाँ सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में संचालित होती है। इस हेतु सहायक प्राध्यापक स्तर के अतिथि विद्वानों/ प्रशिक्षकों/ कर्मचारियों को कोई भी यात्रा भत्ता/दैनिक यात्रा भत्ता/दैनिक अतिरिक्त यात्रा पारिश्रमिक स्वीकृत नहीं है। अतः संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण तथा ज्ञानविज्ञान संवर्धन केंद्र के व्याख्यान/प्रशिक्षण देने वाले सहायक प्राध्यापक स्तर के विद्वानों का यात्रा भत्ता/दैनिक यात्रा भत्ता/दैनिक अतिरिक्त यात्रा पारिश्रमिक स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य के लिए जो भी सहायक प्राध्यापक/प्रशिक्षक/अतिथि विद्वान/कर्मचारी कार्यरत हो उन्हें विश्वविद्यालय/मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक यात्रा भत्ता/अतिरिक्त यात्रा पारिश्रमिक भत्ता सर्वसम्मति से अनुशंसित कर कार्य परिषद् को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है।

क्रियान्वयन – वित्त विभाग/ केन्द्र / स्थापना।

विषय क्र. 09 – वेद एवं व्याकरण विभाग में संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर्मकांड पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के शुल्क का पुनः निर्धारण करते हुए स्नातक स्तर का प्रवेश शुल्क राशि रूपये 10,000/- तथा स्नातकोत्तर स्तर का प्रवेश शुल्क राशि रूपये 15,000/- करने पर विचार।

टीप – वेद एवं व्याकरण विभाग द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर कर्मकांड पत्रोपाधि पाठ्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। जिसमें लगभग 250 से अधिक छात्र प्रवेशित है। वर्तमान में स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने के लिए निर्धारित शुल्क राशि रूपये 3100/- है तथा स्नातकोत्तर स्तर प्रवेश लेने के लिए निर्धारित शुल्क राशि रूपये 10,000/- है। इस विश्वविद्यालय से अन्यत्र विश्वविद्यालय में संचालित पत्रोपाधि पाठ्यक्रम का शुल्क अधिक है। अतः विश्वविद्यालय कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने तथा पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के प्रवेश शुल्क में वृद्धि की जाना प्रस्तावित है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि विषय को विलोपित किया जाए।

क्रियान्वयन – प्रवेश समिति/वेद एवं व्याकरण विभाग/स्थापना।

विषय क्र. 10 – वेद एवं व्याकरण विभाग में पौरोहित्य विषय से शास्त्री एवं आचार्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार।

टीप – इस विश्वविद्यालय से अन्यत्र संस्कृत विश्वविद्यालयों में पौरोहित्य विषय में शास्त्री एवं आचार्य पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे है। विद्यार्थियों कि रूचि दृष्टिगत रखते हुए पौरोहित्य विषय में शास्त्री एवं आचार्य पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि पाठ्यक्रम का निर्माण करवाकर संकाय बोर्ड एवं अध्ययन मण्डल आदि की बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन लेकर विद्या परिषद् की आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करें।

क्रियान्वयन – विद्या विभाग/वेद एवं व्याकरण विभाग।

विषय क्र. 11 – महर्षि पाणिनि प्राध्यापक पीठ में की गई नियुक्तियों के अनुमोदन पर विचार।

टीप – विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्राध्यापक पीठ में अस्थायी नियुक्तियां परियोजना के आधार पर हुई है। नियुक्ति पश्चात् विद्या परिषद् से अनुमोदन अपेक्षित है।

निर्णय – महर्षि पाणिनि प्राध्यापक पीठ में की गई नियुक्तियों का अनुमोदन किया गया।

क्रियान्वयन – निदेशक प्राध्यापक पीठ /स्थापना।

विषय क्र. 12 – विश्वविद्यालय में नवीन पदों का सृजन करने तथा स्वीकृत पदों को पुर्नगठित करने पर विचार।

टीप – विश्वविद्यालय में "राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्" (NAAC) से श्रेणी प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक नियमित पदों का सृजन करना तथा शासन से स्वीकृत शैक्षणिक पदों का पुर्नगठन विभागों की आवश्यकतानुसार किया जाना है। विश्वविद्यालय में पांच विभाग है। विभागों में प्राध्यापकों की नियमित नियुक्ति अत्यंत न्यून है। किसी-किसी विभाग में छात्र अधिक है और प्राध्यापकों की संख्या कम है। जिसके फलस्वरूप अतिथि विद्वानों को नियुक्ति प्रदान कर व्याख्यान को व्यवस्था की जा रही है। इस हेतु नवीन शैक्षणिक पदों का सृजन तथा कार्यालयीन कार्य हेतु गैर शैक्षणिक नवीन पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में शासन से नियमित शैक्षणिक 30 पद स्वीकृत किये गये थे। जिसमें 06 पद 2013 में पूरित किये जा चुके है। शेष 24 पदों का छात्रों तथा विभागों की आवश्यकता अनुसार पुर्नगठित किया जाना है। "राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्" से श्रेणी प्राप्त करने हेतु उक्त प्रकरणों पर विचार अपेक्षित है।

निर्णय – विश्वविद्यालय के अधिनियम 2006 की धारा 24 (दो) के अनुसार विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन समाप्ति या वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध अर्हताओं परिलब्धियों तथा कर्तव्यों के समबन्ध में कार्य परिषद् को सिफारिश कर सकती है अत: निर्णय लिया गया कि विद्या परिषद् शैक्षणिक नवीन पदों का सृजन यथा प्रस्तावों के अनुसार किये जाने की सिफारिश सर्वसम्मति से कार्य परिषद् को करती है। साथ ही शेष पदों को विभागों में आवश्यकतानुसार वितरित करने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत करती है।

क्रियान्वयन –स्थापना/विद्या/अकादमिक विभाग।

विषय क्र. 13 – विश्वविद्यालय में एम.ए. वैदिक स्टडीज के लिए निर्मित पाठ्यक्रम की स्वीकृति एवं संचालन पर विचार।

टीप – विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक में एम.ए. वैदिक स्टडीज का पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्वीकृति पश्चात पाठ्यक्रम का निर्माण कर परिषद् के समक्ष प्रकरण स्वीकृति हेतु रखा गया है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि एम.ए. वैदिक स्टडीज का पाठ्यक्रम अध्ययन मण्डल एवं संकाय बोर्ड से अनुमोदित करने के पश्चात् आगामी बैठक में प्रकरण को रखा जाए।

क्रियान्वयन –विद्या/अकादमिक विभाग/वेद एवं व्याकरण।

विषय क्र. 14 – विश्वविद्यालय में दस विद्यार्थियों से कम प्रवेशित विद्यार्थियों के अभाव में संचालित पाठ्यक्रमों/ पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों का संचालन स्थगित रखने पर विचार।

टीप – विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित किये जाते है। जिसमें विद्वानों से व्याख्यान करवाया जाता है। व्याख्यान हेतु अतिथि विद्वानों को मानदेय प्रदान किया जाता है। किसी पाठ्यक्रम में अगर दस से कम विद्यार्थी प्रवेश लेते है तो उस पाठ्यक्रम को संचालित करने में विश्वविद्यालय को आर्थिक रूप से हानि होती है। अत: विश्वविद्यालय हित को दृष्टीगत रखते हुए इस प्रकार के पाठ्यक्रमों/पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों का संचालन स्थगित किया जाना तथा भविष्य में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों/पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों जिसमें दस से कम प्रवेशित छात्र हो उसे प्रारम्भ न किये जाने का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को विलोपित किया जाए।

क्रियान्वयन –विद्या/अकादमिक विभाग।

विषय क्र. 15 – संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण ज्ञान विज्ञान संवर्धन केंद्र हेतु पदों का सृजन विषयक।

टीप – शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की आवश्यकता विश्वविद्यालय द्वारा सृजित केन्द्र में है। केंद्र के सुचारू संचालन में वांछित पदों की आवश्यकता थी। जिसका विवरण पटल पर प्रस्तुत है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि शासन को पूर्व में भेजे गये प्रस्तावों को संलग्न करते हुए पुन: स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये।

क्रियान्वयन –निदेशक केंद्र /विद्या/अकादमिक विभाग।

विषय क्र. 16 – विश्वविद्यालय के नियमित तथा स्वाध्यायी पाठ्यक्रमों में एकरूपता करने विषयक।

टीप – विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम / पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रचलित है। जिनमें एकरूपता का अभाव है। अत: विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों को सीबीसीएस अनुसार एकरूपता में लाना प्रस्तावित है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि नियमित तथा स्वाध्यायी पाठ्यक्रमों की संरचना एवं स्वरूप अलग-अलग है। अत: पाठ्यक्रम अध्ययन मण्डल के निर्णय अनुसार निश्चित किया जाये।

क्रियान्वयन –विद्या/अकादमिक विभाग।

विषय क्र. 17 – विश्वविद्यालय के वेद एवं व्याकरण विभाग तथा ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान का विभाजन करने पर विचार।

टीप – विश्वविद्यालय में वेद एवं व्याकरण विभाग तथा ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान एक है। भारत के अन्यत्र संस्कृत विश्वविद्यालयों में वेद और व्याकरण दोनों ही विभाग अलग-अलग संचालित किये जा रहे है।

वेद विभाग के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के विषयों को संचालित किया जाता है तथा व्याकरण विभाग में प्राचीन व्याकरण, नव्यव्याकरण आदि विषयों का संचालन किया जाता है। ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग में भी अनेक प्रकार के विषय संचालित होते है चूँकि पूर्व में यह दोनों विभाग एक साथ गठित हो गये थे। इसलिए अध्ययन-अध्यापन की गंभीरता को तथा नैक एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12बी को प्राप्त करने सम्बन्धी प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए दोनों विभागों वेद एवं व्याकरण विभाग तथा ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान को विभाजित किया जाना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। विभाजन के पश्चात पांच विभाग वेद विभाग, व्याकरण विभाग, ज्योतिष विभाग, ज्योतिर्विज्ञान विभाग तथा वास्तु विभाग के नाम से प्रचलित एवं संचालित होंगे। जिससे विश्वविद्यालय में विभागों की संख्या की वृद्धि होगी तथा पांचों विभागों के विषयों में विद्यार्थी सुचारू रूप से अध्ययन कर पाने में सुलभता का अनुभव कर सकेंगे। साथ ही नैक एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 12-बी की प्राप्ति के लिए भी विश्वविद्यालय की स्थिति मजबूत होगी।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था, छात्र कल्याण, नैक संपन्न कराने की दृष्टि से तथा आवश्यकतानुसार मूल रूप से विभागों की संख्या में वृद्धि करने हेतु **वेद एवं व्याकरण विभाग तथा ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान विभाग को विभाजित किया जाता है।** विभाजन के पश्चात पांच विभाग **वेद विभाग, व्याकरण विभाग, ज्योतिष विभाग, ज्योतिर्विज्ञान विभाग** तथा **वास्तु विभाग** के नाम से प्रचलित एवं संचालित होंगे। इन विभागों में आवश्यकतानुसार नवीन पदों का सृजन एवं स्वीकृत पदों का विभागों में वितरण किये जाने पर परिषद् द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

क्रियान्वयन –विद्या/अकादमिक विभाग/स्थापना/उपर्युक्त विभागों के विभागाध्यक्ष।

विषय क्र. 18 – **मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार अतिथि विद्वानों के नियमों अंगीकृत करने पर विचार।**

टीप – विश्वविद्यालय में प्रत्येक सत्र में अतिथि विद्वानों की भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापनोंपरांत चयन किया जाता है। बार-बार इस प्रक्रिया को अपनाने से विश्वविद्यालय में अनावश्यक आर्थिक भार आता है। चूँकि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के नियमों के अंतर्गत संचालित होता है तथा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वान भर्ती नियमानुसार चयनित अतिथि विद्वानों को ही स्थायी शिक्षक भर्ती होने तक कार्यरत रखा जाता है। चूँकि विश्वविद्यालय में नियमित कुल 6 प्राध्यापक कार्यरत है। कार्य की सुलभता तथा अनावश्यक और आर्थिक भार से सुरक्षित रहने के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वान नियमों को अंगीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को आगामी विद्या परिषद् के लिए प्रस्तावित किया जाये।

क्रियान्वयन –विद्या/अकादमिक विभाग।

विषय क्र. 19 – दिनांक 23.02.2023 को आयोजित विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों की बैठक के कार्य विवरण के अनुशंसा पर विचार।

टीप – विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों की बैठक का कार्य विवरण तैयार कर अनुशंसा हेतु प्रस्तुत।

निर्णय – दिनांक 23.02.2023 को आयोजित विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों की बैठक के कार्य विवरण को अनुशंसित किया गया।

क्रियान्वयन –विद्या/अकादमिक विभाग।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

विषय क्र. 20 – दीक्षान्त समारोह हेतु डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करने लिए श्री एल.वी. गंगाधर शास्त्री के नाम की अनुशंसा करने विषयक।

टीप – दीक्षान्त समारोह में विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विद्वानों से उक्त विषय पर चर्चा की गयी। विद्वानों से चर्चा होने के बाद निर्णय लिया गया कि श्री एल.वी. गंगाधर शास्त्री को विश्वविद्यालय के नियमानुसार मानद उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी से अनुरोध किया गया है।

निर्णय – बैठक में उक्त प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। तदुपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी दीक्षान्त समारोह में माननीय कार्य परिषद् के अनुमोदन पश्चात् श्री एल.वी. गंगाधर शास्त्री को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करने की अनुशंसा परिषद् ने की है।

क्रियान्वयन –स्था. शाखा।

माननीय कुलपति जी एवं अध्यक्ष प्रो. विजयकुमार सी.जी. महोदय ने समस्त सदस्यों का सहृदय आभार एवं धन्यवाद माना साथ ही विश्वविद्यालय की प्रगति एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए आगामी सत्रों में होने वाली कार्यवाहियों पर भी सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की । परिषद् के सदस्य प्रो. बालकृष्ण शर्मा द्वारा सभी सदस्यों की ओर माननीय कुलपति जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। तद्पश्चात शान्ति मंत्र के साथ परिषद की बैठक का समापन हुआ।

प्रो. विजयकुमार सी.जी.
अध्यक्ष एवं कुलपति

डॉ. दिलीप सोनी
सचिव एवं कुलसचिव